संख्या- 38/2023/418099/2023/63-व0उ0-2023-1757691/2023

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
14, शक्ति भवन लखनऊ।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांक : 31 अक्टूबर,2023

विषय- अटल बिहारी बाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि पावरलूम बुनकरों को बिजली बिल हेतु फ्लैट रेट की सुविधा पूर्व में ऊर्जा विभाग के शासनादेश संख्या-1969/24-पी-3-2006 दिनांक 14-06-2006, के द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर (2) में यह उल्लिखित था कि 60 इंच से कम रीड के पावरलूम को 0.5 हार्स पावर भार का माना जाएगा एवं तद्नुसार बिलिंग की जाएगी। 60 इंच से अधिक रीड वाले पावर लूम को 1 हार्स पावर का मानते हुए विद्युत बिल की गणना की जाएगी।

1- अटल बिहारी बाजपेई पावरलूम बुनकर फ्लैट योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी किये गये शासनादेश संख्या-10/2023/716/63व0उ0-2023-60(एच)/2016 दिनांक 06-04-2023 में 0.5 एवं 1 हार्स पावर लूम के लिए विद्युत दरों को संशोधित किया गया है किन्तु लिपिकीय त्रुटि से यह अंकित करने से रह गया है कि 60 इंच से कम रीड वाले पावरलूम को 0.5 हार्स पावर का माना जायेगा। इसके कारण फील्ड में कई जगहों पर भ्रम की स्थिति बनने की सूचना शासन को प्राप्त हुई है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 06-04-2023 के द्वारा पूर्व में फ्लैट रेट के लिए निर्धारित दरों में ही मात्र संशोधन किया गया है अन्य प्रवधान पूर्ववत ही हैं। अतः 60 इंच से कम रीड वाले पावरलूम के लिए बिजली बिल की गणना 0.5 हार्स पावर का मानते हुए की जाएगी। इससे अधिक लम्बाई रीड वाले पावरलूम को 1 हार्स पावर का मानते हुए विद्युत बिल की गणना की जाएगी।

2- शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि यदि किसी बुनकर के द्वारा 5 किलोवाट का कनेक्शन लिया गया है तो भी उससे पूरी क्षमता के अनुसार बिजली का बिल लिया जा रहा है जबकि बिजली के बिल की गणना उपलब्ध एवं कार्यरत पावरलूम की संख्या के अनुसार ही की जानी चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि किसी पावरलूम बुनकर ने 5 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है और वह शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं और उसके पास 1-1 हार्स पावर के 2 पावरलूम हो तो विद्युत बिल की गणना रूपये 800/- प्रति हार्स पावर की दर से रूपये 1600/- की जानी चाहिये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- बुनकरों के प्रतिनिधियों के द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि 5 किलोवाट से कम के कनेक्शन पर 3 फेज का विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाता है जबकि पावरलूम चलाने के लिए 3 फेज की आवश्यकता होती है। कृपया इस बात पर विचार कर लें कि 5 किलोवाट से कम के विद्युत संयोजन पर भी 3 फेज का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके।

4- उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1 एवं 2 पर तत्काल कार्यवाही कराने का कष्ट करें तथा बिन्दु संख्या 3 पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग उ0प्र0 शासन।
2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3- निदेशक, (वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन लखनऊ।
4- आयुक्त एंव निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
5- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी।
6- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
7- प्रबन्ध निदेशक, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
9- प्रबन्ध निदेशक, कानपुर विद्युत सप्लाई कम्पनी, लि0 (केस्को) कानपुर।
10- समस्त परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योंग उ0प्र0।
11- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in